रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032023-244365 CG-DL-E-14032023-244365

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] No. 162] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2023

मारत में विदेशी वकील एवम् विदेशों लॉ फर्म के पंजीकरण और विनयमन के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद नियम, 2022

उद्देश्य एवम् कारण

- सं. बी.सो.आई.: डी: 1260/2023.—1 भारत में कानूनी पेशे को एक महान पेशे को एक महान पेशे के रूप में माना जाता है। कानूनी पेशे से जुड़ी कोई व्यावसायिक प्रतियोगिता या खरीद नहीं होनी चाहिए और न है। भारत में कानूनी पेशे को व्यावसायिक गतिविधि या सेवा के रूप में नहीं माना जाता है। कानून एक व्यापार नहीं है और संक्षेप में कोई माल नहीं है, इसलिए वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा या खरीद के मिलावट से कानूनी पेशे को अशिष्ट नहीं करना चाहिए। (माननीय न्यायमूर्ति वी आर कृष्णाअयर)
- 2. भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् की राय में भारत में कानूनी पेशे को कानूनी क्षेत्र में वैशिवक परिवर्तन को पूरा करने के लिए इस अवसर पर आगे बढ़ना होगा, जो कि एक देश से दूसरे देश में इतने बड़े पैमााने पर लोगों के प्रवासन के कारण है, जो पहले के दिनों में नहीं देखा गया था। विश्व एक वैश्विक गांव बनता जा रहा है।
- 3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में, अंतरराष्ट्रीय और द्विराष्ट्रीय व्यापार में काम करने वाले वादियों (पेरोकार) / जनता को एक खुले, उत्तरदायी और ग्रहणशील कानूनी पेशेवर वितरण तंत्र की मांग दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधित कार्य क्षेत्र में वृद्वि और कानूनी अभ्यास

1668 GI/2023 (1)

का वैश्वीकरण और कानून का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत में कानूनी पेशे और प्रथाओं के विकास के लिए तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है।

- 4. भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् शुरू में किसी भी रूप में विदशी अधिवक्ताओं और विदशी कानून फर्मों के भारत में प्रवेश का विरोध कर रहा था। हालाँकि, इसे दे की कानूनी पेशे से जुड़ा समुदाय के द्वारा वर्ष 2007—2014 में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के संयुक्त सलाहकार सम्मेलनों में और भारत के सभी राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और कार्यकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा इस विषय में संवाद करने और बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया था कि भारत में पारस्परिकता के सिद्वांत पर गैर—न्यायालययी मामलों में विदेशी कानून और विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे के लिए कानूनी व्यवसाय के क्षेत्र में विदेशी अधिवक्ताओं के कानूनी अभ्यास में प्रवेश की क्षमता और संभावनाओं का पता लगाने के लिए, भारत सरकार, कानून और एवं न्याय मंत्रालय, व्यापार एवमं वाणिज्य मंत्रालय और विदेशी देशों के विद्यिज्ञ परिषदों / विद्यिज्ञ समितियों के साथ बातचीत किया जाय और जो कि होता रहा। इस बीच, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 16 12 2009 को लॉयर्स कलेक्टिव बनाम भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् का फैसला आया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह उचित नहीं था कि भारत में विदेशी लॉ फर्मों को संपर्क कार्यालय खोलने की स्वीकृती दे आगे यह कहा गया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 29 में 'कानूनी पेशे का अभ्यास करने के लिए' अभिव्यक्त न्यायालययी मामलों में अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के साथ साथ गैर—न्यायालययी मामलों में अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को भी यह पूर्णतः सम्मिलित करता है और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य थे।
- 5़ मद्रास उच्च न्यायालय ने 21़12़2012 को ए़के़ बालाजी बनाम भारत सरकार, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नान्सार आयोजित किया:-

'तथ्यों और कानून दोनों पर इस मामले पर गहन विचार करने के बाद, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे है:--

- (i) विदेशी कानून फर्म या विदेशी अधिवक्ता भारत में न्यायालययी या गैर—न्यायालययी (न्यायालय से उन्मुक्त मामलें) के पक्ष में कानून के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के नियमों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हों।
- (ii) हांलािक, कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' आधार पर अस्थायी अविध के लिए भारत में अपने पेराकारों को विदेशी कानूनों या उनके प्रक्रिया विधि के लिए और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के लिए भारत का दौरा करने के लिए विदेशी कानून फर्मों या विदेशी अधिवक्ताओं के लिए अधिनियम या नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (iii) इसके अलावा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के उद्देश्य और उद्देश्य के संबंध में और संबंधित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही करने के लिए विदेशी अधिवक्ताओं को भारत आने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- 6. उपरोक्त दोनों फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जहां भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलें को चुनौती दी, वहीं लॉयर्स कलेक्टिव ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।
- 7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिंनाक 13.03.2018 के निर्णय द्वारा सिविल अपील सख्या 7875—7879/2015 के साथ सिविल अपील संख्या 7170/2015 एवं सिविल अपील संख्या 8028/2015 के तहत दोनों मामलों को ''बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम ए.के. बालाजी व अन्य'' में मुद्दों पर विचार करने के बाद और यह माना कि और कहा कि:—

"37 हमने प्रतिद्वंद्वी प्रविष्टियों पर विचार किया है। विचार के लिए प्रश्न मुख्य रूप से मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 63 में दिए गए निर्देशों से उत्पन्न होते है जिन्हें इस फैसले की शुरूआत में पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। अर्थातः

(i) क्या अभिव्यक्ति 'कानून के पेशे का अभ्यास' में केवल मुकदमेबाजी अभ्यास या गैर—मुकदमेबाजी अभ्यास शामिल है।

साथ ही

- (ii) क्या अधिवक्ता अधिनियम और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के नियमों की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना विदेशी कानून फर्मों या विदेशी अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह के अभ्यास की अनुमति है;
- (iii) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर विदेशी कानून के संबंध में कानूनी सलाह देने के लिए उक्त कानूनी फर्मों या अधिवक्ताओं के लिए 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' आधार पर भारत आने पर रोक है;
- (iv) क्या विदेशी कानून फर्मों और अधिवक्ताओं को मध्यस्थता की कार्यवाही करने और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवदों पर कोई रोक नहीं है;
- (v) क्या एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली बीपीओं कंपनियां अधिवक्ता अधिनियम या भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के नियमों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

जवाब: (i)

"38 प्रवीण सी शाह बनाम के ए मो अली 17, यह देखा गया है अभ्यास करने का अधिकार एक प्रजाति जिसमें पेश होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार विशिष्ट है। ऐसा देखा गयाः

"अभ्यास करने के लिए अधिवक्ता का अधिकार उसके द्वारा अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में किए जाने वाले बहुत से कार्यों को समेटे हुए है। अदालतों में पेश होने के अलावा उनके पेरोकार उनसे सलाह ले सकते हैं, जब भी मांगा जाए वह अपनी कानूनी राय दे सकते हैं, वे दस्तावेज, दलीलें, हलफनामें या कोई अन्य दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, वह कानूनी चर्चा आदि से जुड़े किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं।

पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ 18, में वही विचार दोहराया गया था।

"39 कानूनी पेशे की नैतिकता न केवल तब लागू होती है जब कोई अधिवक्ता अदालत के सामने पेश होता है। यह न्यायालय के बाहर अभ्यास को विनियमित करने के लिए भी लागू होता है। ऐसी नैतिकता का पालन करना न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है। समय—समय पर निर्धारित पेशेवर मानकों का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार, हम इस द्दष्टिकोण को कायम रखते हैं कि कानून के अभ्यास में मुकदमेबाजी के साथ—साथ गैर मुकदमेबाजी भी शामिल है।

जवाब: (ii)

"40 हम पहले ही मान चुके है कि कानून के अभ्यास में न केवल अदालतों में उपस्थित होना शामिल है बिल्क राय देना, दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, कानूनी चर्चा वाले सम्मेलनों में भाग लेना भी शामिल है। ये गैर मुकदमेबाजी अभ्यास के हिस्से भी जो कानून के अभ्यास का हिस्सा है। अन्यथा किसी अन्य कानून में प्रदान किए गए को छोड़कर, अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय—IV में योजना यह स्पष्ट करती है कि अकेले न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की अनुमित से उपस्थित हो सकते हैं। अधिवक्ताओं के आचरण के लिए नियामक तंत्र गैर मुकदमेबाजी कार्य पर भी लागू होता है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता के अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति पर लागू प्रतिबंध निश्चित रूप से किसी भी विदेशी पर भी लागू होता है।

जवाबः (iii)

"41 फ्लाई इन और फ्लाई आउट आधार पर किसी विदेशी अधिवक्ता का दौरा नियमित आधार पर होने पर कानून का अभ्यास करने की राशि हो सकती है। सलाह देने के लिए एक आकिस्मक यात्रा 'अभ्यास' अभिव्यक्ति द्वारा कवर नहीं की जा सकती। क्या कोई विशेष दौरा आकिस्मक या बार—बार होता है तािक अभ्यास की मात्रा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में निर्धारित की जाने वाली तथ्य का प्रश्न हो। भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् या भारत संघ इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। हालाँिक, हम यह स्पष्ट कर सकते है कि अधिवक्ता अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति भारतीय कानून का अभ्यास कर रहा हो, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, यह दलील कि एक विदेशी अधिवक्ता भारत में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के नियमों के नियामक तंत्र के अधीन हुए बिना भारत में विदेशी कानून का अभ्यास करने का हकदार है, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम कंपनियों या फर्मों और केवल व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। यदि निषेध किसी व्यक्ति पर लागू होता है, तो यह समान रूप से व्यक्तियों के समूह या न्यायिक व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

जवाब: (iv)

"42 यह मानना संभव नहीं है कि किसी विदेशी अधिवक्ता के लिए भारत में मध्यस्थता करने पर कोई रोक नहीं है। यदि मामला किसी संस्था के विशेष नियमों द्वारा शासित होता है या यदि मामला अन्यथा धारा 32 या 33 के अंतर्गत आता है, तो निर्धारित तरीके से ऐसी कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है। यदि मामला एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित होता है, तो कार्यवाही का संचालन मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 32 या 33 के तहत हो सकता है। ऐसे मामलों में भी, भारत में कानूनी पेशे पर लागू आचार संहिता, यदि कोई हो, का पालन करना होगा। भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् या केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह उपयुक्त समझे जाने पर इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान करें।

जवाब: (v)

"43 अपने ग्राहकों को अनुकूलित और एकीकृत सेवाओं और कार्यों की श्रेणी प्रदान करने वाली बीपीओ कंपनियां अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, केवल अगर सारगर्भित गतिविधियां कानून के अभ्यास के दायरे में नहीं आती हैं। जिस तरह से वे शैलीबद्ध हैं वह निर्णायक नहीं हो सकता है जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, यदि उनकी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के अभ्यास के लिए नहीं हैं, तो अधिवक्ता अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिससे तथ्य की स्थिति के संबंध में मामले के आधार पर निपटा जा सकता है।

"44 उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस आशय के निर्णय के पैरा 63 (i) में बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं कि विदेशी कानून फर्म / कंपनियां या विदेशी अधिवक्ता न्यायालययी या गैर—न्यायालययी मामलों में भारत में कानूनी पेश का अभ्यास नहीं कर सकतें। हालांकि, हम पैरा 63 (ii) में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को संशोधित करते है कि भारत में अपने पेरोकारों को विदेशी कानून या कानून की अपनी प्रणाली और विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के उद्देशय के लिए विदेशी कानूनी फर्मों या विदेशी अधिवक्ताओं के लिए 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' आधार पर अस्थायी अवधि के लिए भारत में आने पर कोई रोक नहीं था। हम मानते है कि 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' एक आकारिमक यात्रा हो सकती है, लेकिन यह कानूनी अभ्यास का मूल्य नहीं होगा। एक विवाद के मामले में कि क्या कोई विदेशी अधिवक्ता भारत में अपने पेरोकारों को विदेशी कानून या उनकी अपनी कानून प्रणाली और विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के उद्देशय से आकिस्मक आधार पर खुद को 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' तक सीमित कर रहा था या क्या वास्तव में वह अभ्यास कर रहा था। जो निधिद्ध है, यह भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा सकता। हालांकि, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् या भारत सरकार इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसमें ऐसे मामलों पर भी लागू होने वाली आचार संहिता का विस्तार करना शामिल है।

"45 हम पैरा 63(iii) में निर्देश को भी संशोधित करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित एक अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही करने के लिए विदेशी अधिवक्ताओं को भारत आने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हम मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही करने के लिए विदेशी अधिवक्ता को कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि संस्थागत मध्यस्थआ के नियम लागू होते हैं या मामला मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाता है, तो विदेश अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 और 33 के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाली मध्यस्थता की कार्यवाही करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वे भारत में कानूनी पेशे के लिए लागू आचार संहिता द्वारा शासित होंगे। भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् या भारत संघ इस संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

"46 हम पैरा 63 (iv) में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को भी संशोधित करते हैं कि बी पी ओ अपने ग्राहकों को अनुकूलित और एकीकृत सेवाओं और कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, सचिवीय समर्थन, प्रतिलेखन सेवाएं, प्रूफ रीडिंग सेवाएं, यात्रा डेस्क समर्थन सेवाएं आदि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के नियमों के दायरे में नहीं आती। हम मानते है कि मात्र ऐसी सेवाओं के स्तर को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। अगर सार रूप में सेवाएं कानून के अभ्यास के बराबर है, तो अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और विदेशी कानून फर्मों या विदेशी अधिवक्ताओं को ऐसा करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

8. इसके अलावा, यह संसूचित करना प्रासंगिक है कि हाल ही में भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग के सचिव के साथ इंग्लैंड और वेल्स की लॉ सोसायटी और यूके के कुछ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ कुछ चर्चाओं और विचार—विमर्श के दौरान, यह कहा गया है यूके का वह पक्ष जिसे भारतीय अधिवक्ता / कानून फर्म इंग्लैंड और वेल्स में स्थापित कर सकते हैं और भारतीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ साथ अंग्रेजी कानून की सलाह प्रदान कर सकते हैं। वे हालांकि, यूके मे विदेशी अधिवक्ताओं के विनियमन के उच्च—स्तरीय सारां'। में विस्तृत छह आरक्षित गतिविधियों में से किसी में भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं (उदाहरण के लिए दर्शकों के अधिकार का प्रयोग / न्यायालय के समक्ष पेश होना, न्यायालययीक कार्य करना, आरक्षित साधन गतिविधियां करना, (एक लघु पट्टा, एक वसीयतनामा या अन्य वसीयतनामा देने का अनुबंध, एक अनुबंध के रूप में निष्पादित करने का इरादा नहीं है, एक अनुबंध के अलावा जो उपर शामिल है, एक पत्र या मुख्तारनामा, स्टॉक का हस्तांतरण जिसमें कोई भरोसा नहीं है या हस्तांतरण की सीमा, संपति का हस्तांतरण और इसी तरह का काम), प्रोबेट गतिविधियाँ शपथ का प्रशासन, नोटरी गतिविधियाँ), विद्यिज्ञ परिषद् / बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड के पास अंग्रेजी अदालतों के समक्ष एक मामले / मामलों की एक श्रृंखला में लगे अतिथि अधिवक्ताओं के लिए बार में अस्थायी अपसमन प्रक्रिया भी है।

यू. के , के प्रतिनिधियों के अनुसार भारतीय वकीलों को केवल पंजीकृत विदेशी अधिवक्ताओं (RFL) के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है यदि वे इंग्लैंड और वेल्स के वकीलों के साथ साझेदारी में है। वे किसी भी स्थिति में अपने होम बार (भारतीय विद्यिज्ञ परिषद्) के नियामक दायरे में रहते हैं।

चर्चाओं के अनुसार, योग्यता छूट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के साथ सॉलिसिटर योग्यता परीक्षा (SQE) के माध्यम से भारतीय अधिवक्ताओं के लिए पहले से ही एक तरीका है। भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ने इस तरह की सच्चाई/ऐसे बयानों की सत्यता और इसके प्रभाव के विवरण की जांच करने के प्रस्ताव दिया है, और कानून और न्याय मंत्रालय और यूके सरकार और बार के माध्यम से भारत सरकार को शामिल करने के बाद पूछताछ और आगे के विचार—विमर्श करेगा। भारतीय परिषद् और उसके बाद पात्रता और छूट के उद्देश्य से इसी तरह से कुछ योग्यता परीक्षा शुरू करने पर भी विचार कर सकती है, अगर यह भारतीय अधिवक्ताओं/लॉ फर्मों और भारत सरकार के हितों पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् एक समझोता ज्ञापन करने के विचार पर प्रगति करने का इच्छुक है, जिसमें एक पक्ष भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् और भारत सरकार (कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से) और दूसरा पक्ष इंग्लैंड और वेल्स की लॉ सोसायटी, ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड और वेल्स विद्यिज्ञ परिषद् होंगें।

यूके के प्रतिनिधियों ने भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् को यह भी आश्वासन दिया है कि यूके के अधिकारी भी भारतीय अधिवक्ताओं और यूके के अधिवक्ताओं के बीच सहयोग, सहभागिता और संयुक्त अभ्यास के साधनों में उत्सुक और रूचि रखते हैं।

9 इस मुद्दे पर निर्णय लेने का समय आ गया है। भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् का मानना है कि विदेशी कानून के अभ्यास के क्षेत्र में विदेशी अधिवक्ताओं के लिए भारत में विदेशी कानून के अभ्यास को खोलना; गैर—न्यायालययी मामलों में विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के मामले भारत में अधिवक्ताओं के लाभ के लिए भारत में कानूनी पेशे/क्षेत्राधिकार को विकसित करने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि कानून में प्रवीणता में भारतीय अधिवक्ताओं के मानकों की तुलना अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ की जा सकती है और भारत में कानूनी अभ्यास तय करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि कानून में प्रवीणता में भारतीय अधिवक्ताओं के मानकों की तुलना अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ की जा सकती है और भारत में कानूनी अभ्यास का समुदाय को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, अगर भारत में कानून का अभ्यास प्रतिबंधित और अच्छी तरह से नियंत्रित और पारस्परिकता के संभावना नहीं है, अगर भारत में कानून का अभ्यास प्रतिबंधित और अच्छी तरह से नियंत्रित और पारस्परिकता के सिद्वांत पर विनियमित तरीके से विदेशी अधिवक्ताओं के लिए खोला जाता है तो यह भारत और विदेशों के अधिवक्ताओं के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा और ये नियम भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा इस दिशा में एक प्रयास है। ये नियम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को केन्द्र बनाने में भी मदद करेंगे। मामले में, हम इस मामले में सो जाते हैं, भारत में कानूनी बिरादरी को कानून के शासन के अनुसार कानूनी / पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने में पीछ छुट सकता है, जो भारत में ग्राहकों के इस तेजी से बढ़ते वर्ग के सर्वीत्तम हितों के अनुरूप है। आइए हम यह

सुनिश्चित करें कि भारत में कानूनी पेशे और कानूनी क्षेत्र के लिए विकास और विकास का एक अवसर खोया न जाये।

कई देशों ने पहले ही विदेशी अधिवक्ताओं को विशिष्ट और निर्धारित शर्तों के साथ प्रबिंधित क्षेत्रों में अपने देशों में विदेशी कानून और विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और मध्यस्थता मामलों का अभ्यास करने की अनुमति दे दी है।

10 सर्व—समावेशी विचार रखते हुए, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् इन नियमों को विनियमित और नियंत्रित तरीके से लागू करने का संकल्प लेती है, जिससे विदेशी अधिवक्ताओं और विदेशी लॉ फर्मों को विदेशी कानून और विविध अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों का अभ्यास करने में मदद मिलते है।

उपरोक्त कारणों से और पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ने भारत में विदेशी अधिवक्ताओं और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण के लिए के भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् विदेशी अधिवक्ता और विदेशी लॉ फर्म भारत में पंजिकरण नियम, 2021 को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 की उपधारा 1 के (डी), (ई), (आईसी) और (एम) धारा 49 के उपधारा (1) के (एएच), (एजी), (सी), (ई) और (एच) पठित धारा 24, 29 और 47 के तहत और अन्य सभी सक्षम प्रावधानों के तहत यह नियम बनाये है।

अध्याय-1

प्रारंभिक

- 1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:-
- (ए) इन नियमों को भारत में विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् नियम कहा जाएगा।
- (बी) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होते ही पूरे भारत में लागू हो जाएंगे।
- 2 परिभाषाएँ:-
- (i) 'अधिनियम' का अर्थ समय-समय पर सं'ोाधित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 है।
- (ii) अधिनियम में दी गई विभिन्न शर्तों की परिभाषाएं इन नियमों पर भी लागू होंगी।
- (iii) 'विदेशी अधिवक्ता' का अर्थ एक व्यक्ति है, जिसमें एक कानूनी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, कंपनी या एक निगम शामिल है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है या वर्णित किया जाता है, जो किसी विदेशी देश में कानून का अभ्यास करने का हकदार है।

भारतीय अधिवक्ताओं का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी भी राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के रोल पर पंजिकृत अधिवक्ता है।

भारतीय कानून फर्मों का मतलब साझेदारी / एलएलपी फर्म के रूप में भारतीय अधिवक्ताओं के साथ इसके भागीदारी के रूप में है।

- (iv) 'विदेशी देश' का अर्थ है एक देश, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसमें एक घटक राज्य शामिल है, जैसे कि किसी विदेशी देश में शासन की संघीय संरचना है और ऐसे घटक राज्य का अपना न्याय है—वितरण प्रणाली और कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का एक अलग वर्ग।
- (v) 'प्राथमिक योग्यता का देश' का अर्थ है एक विदेशी देश जिसमें विदेशी अधिवक्ता उस देश के कानून के अनुसार कानून का अभ्यास करने का हकदार हैं।
- (vi) 'विदेशी कानून' का मतलब एक कानून है, जो प्राथमिक योग्यता वाले देश में प्रभावी है या था।
- (vii) 'विदेश के सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है सरकार या न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण या विद्यिज्ञ परिषद् या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और गठित निकाय, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है या वर्णित किया जाता है, जो अनुदान देने के लिए सक्षम है कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस।
- (viii) 'अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता' का अर्थ वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित विवदों को हल करने का एक वैकल्पिक तरीका है जो भारत में आयोजित किया जाता है जिसमें सभी या कोई भी पक्ष ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं हैं जिनका पंजीकृत पता या मुख्य कार्यालय या प्रधान कार्यालय किसी विदेशी देश में है।

- (ix) 'अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले' का अर्थ है एक वाणिज्यिक या मौद्रिक मामले से संबंधित एक मध्यस्थता मामला जो भारत में आयोजित किया जाता है जिसमें सभी या कोई भी पक्ष ऐसे व्यक्ति होते है। जिनके पास विदेश में पता या प्रमुख कार्यालय या प्रधान कार्यालय होता है।
- (x) विदेशी ग्राहक का अर्थ है एक व्यक्ति/व्यक्ति जो एक विदेशी राष्ट्र के नागरिक है या एक फर्म/निगम/व्यवसाय इकाई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय किसी विदेशी देश में एक शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय या निर्माण इकाई के साथ है।

विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी कानून फर्मों का पंजीकरण और वे विस्तार शर्तें जिनके अधीन वे भारत में कानून का अभ्यास कर सकते हैं।

- 3. विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी कानून फर्मों का पंजीकरण और उनके लिए पात्रता मानदंड:--
- (1) एक विदेशी अधिवक्ता या विदेशी कानूनी फर्म भारत में कानून का अभ्यास करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह इन नियमों के तहत भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के साथ पंजीकृत नहीं है।

बशर्तें कि यह निषेध किसी विदेशी अधिवक्ता या विदेशी कानूनी फर्म द्वारा कानूनी अभ्यास पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसी प्रथा विदेशी कानून के संबंध में भारत में ग्राहक को कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से 'फ्लाई इन और फ्लाई आउट आधार' पर की जाती है और विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर और आगे बशर्तें कि ऐसे विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म की ऐसी विशेषज्ञता / सलाह पेरोकार द्वारा विदेश में प्राप्त की गई हो और विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म भारत में इस प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय नहीं रखती है। इस तरह की प्रथा और अंत में भारत में एक या अधिक अवधि के लिए ऐसी प्रथा, कुल मिलाकर 12 महीनों की किसी भी अवधि में 60 दिनों से अधिक नहीं होती है।

(2) संबंधित प्राथमिक योग्यता के विदेशी देश में 'कानून का अभ्यास करने का अधिकार' इन नियमों के तहत भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए प्राथमिक योग्यता होगी।

अध्याय-3

पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण का नवीनीकरण और भारत में कानूनी अभ्यास से जुड़े मामले

- 4 पंजीकरण के लिए आवेदन
- (1) एक विदेशी अधिवक्ता या विदेशी कानूनी फर्म इन नियमों के तहत पंजीकरण शुल्क और गारंटी राशि के साथ इन नियमों से जुड़े 'फॉर्म ए' में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन और शुल्क ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

इस तरह के आवेदन के साथ समय—समय पर भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा तय की गई राशि के गैर वापसी योग्य प्रकिया शुल्क भी होंगे, यह आवेदन सचिव, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् को संबोधित किया जाएगा और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगा।

- (i) भारत सरकार, (कानून और न्याय मंत्रालय और विदश मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय) या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य प्राधिकरण या अधिकारी से एक प्रमाण पत्र इस संबंध में प्राधिकृत कर सकता है कि संबंधित देश में एक प्रभावी कानूनी प्रणाली मौजूद हैं। प्राथमिक योग्यता और यह कि आवेदन को भारत में इन नियमों और प्रथाओं के कानून के तहत पंजीकृत होने की स्थिति में कोई आपित्त नहीं है; (इस संदर्भ में:—यदि भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् आवश्यक समझे, तो विदेशी सरकारों के संबंधित विभागों या मंत्रालयों से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है या संपर्क बना सकता है।)
- (ii) प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदश के सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि आवेदक उस देश में कानून का अभ्यास करने का हकदार है;
- (iii) विदेशी देश की सरकार से प्राथमिक योग्यता या उसके सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र, जो प्रमाणित करता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित अधिवक्ताओं को उस देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमित दी जाती है, जिसकी तुलना की जा सकती है। प्रासंगिक कानूनों और नियमों की प्रतियों के साथ इन नियमों के तहत अनुमत कानून अभ्यास;

- (iv) प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित देश के सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी / न्यायालयों, अधिवक्ता संघ, विद्यिज्ञ परिषद आदि से एक प्रमाण पत्र कि आवेदक उस देश में अभ्यास कर रहा है;
- (v) प्राथमिक योग्यता वाले संबंधित विदेश में सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र कि पेशेवर या अन्य कदाचार की कोई कार्यवाही न ता उसके समक्ष लंबित है और न ही ऐसी कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष;
- (vi) प्रासंगिक नियमों और कानूनों के साथ उस देश में कानून का अभ्यास करने के लिए सक्षम करने के लिए अधिनियम के तहत नामांकित एक अधिवक्ता से शुल्क संरचना और अन्य रािंगों का विवरण देते हुए प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र:
- (vii) प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेश के सक्षम प्राधिकारी का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' कि आवेदक के भारत में कानून का अभ्यास शुरू करने की स्थिति में उसे कोई आपत्ति नहीं है और आवेदक बार में अच्छी स्थिति का आनंद लेता है।
- (viii) हलफनामें पर एक घोषणा कि आवेदक को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और किसी भी अनुशासनात्मक मामले में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया गया है। (यदि उसे किसी दोषसिद्धि / प्रतिकूल आदेश की प्रतियां और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि अपील और स्थगन, यदि कोई हो, या सजा / जुर्माना भुगतान किया जाना आदि) संलग्न);
- (ix) हलफनामें पर एक घोषणा कि आवेदक को भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा स्वयं या ऐसी सरकारी या गैर—सरकारी जांच एजेंसी के माध्यम से पूछताछ और जांच करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है और सहमित है, जैसा कि वह उचित समझे, सत्यापित करने के लिए आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए विवरणों की सत्यता और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की वास्तविकता;
- (x) शपथ पर एक वचनबंध कि वह किसी भी रूप में या कानून के किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष शपथ पर साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए कानूनी रूप से भारतीय कानून का अभ्यास नहीं करेगा;
- (xi) शपथ पर एक घोषणा कि वह इन नियमों के तहत पंजीकरण के समय भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के पास उसके द्वारा जमा की गई गारंटी राशि पर किसी की ब्याज का हकदार नहीं होगा और नहीं करेगा और विद्यिज्ञ परिषद् इन नियमों के प्रावधानों के तहत भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा दी जाने वाली दंड और लागत राशि के लिए इस गारंटी राशि को समायोजित करने और लागू करने का हकदार होगा;
- (xii) शपथ पर एक घोषणा कि आवेदक इस तथ्य को पूरी तरह से समझता है और उसकी सराहना करता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियम 7 में पंजीकृत और यथोचित परिवर्तनों के साथ और उसके द्वारा कानूनी अभ्यास से संबंधित भारत के नियम उसके / इसके पर लागू होते है। जो भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और इस तरह के अभ्यास के संबंध में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
- 5 पंजीकरण की वैधता और पंजीकरण का नवीनीकरण:-
- (1) नियम 7 के तहत किया गया पंजीकरण केवल 5 (पांच) वर्षों की अविध के लिए वैध होगा और विदेशी अधिवक्ता और / या लॉ फर्म को पहले 6 महीने के भीतर फॉर्म बी में नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करके इसे नवीनीकृत करना होगा। वह तारीख जिस पर ऐसी वैधता समाप्त होती है।
- (2) एक विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म इन नियमों के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए इन नियमों से जुड़े 'फॉर्म बी' में नवीनीकरण शुल्क के साथ व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- (3) नवीनीकरण के लिए यह आवेदन सचिव, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् कों संबोधित किया जाएगा और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगा:—
- (i) भारत सरकार या इस तरह के अन्य प्राधिकरण या अधिकारी से एक प्रमाण पत्र जो इस संबंध में प्राधिकृत कर सकता है कि नियम 7 के तहत उसके पंजीकरण के बाद से प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेश में एक प्रभावी

कानूनी प्रणाली मौजूद है और यह इन नियमों के तहत आवेदक के पंजीकरण के नवीनीकरण के मामले में कोई आपत्ति नहीं है और वह भारत में कानून का अभ्यास करना जारी रखता है;

- (ii) प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आवेदक नियम 7 के तहत अपने पंजीकरण के बाद से उस देश में कानून का अभ्यास करने का हकदार बना हुआ है;
- (iii) विदेशी देश की प्राथमिक योग्यता की सरकार या वहां के सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत नामांकित अधिवक्ताओं को उस देश में कानून का अभ्यास करने के तरीके और सीमा तक जारी रखने की अनुमित है। जो प्रासंगिक कानून और नियमों की प्रतियों के साथ नियम 7 के तहत उसके पंजीकरण के बाद से इन नियमों के तहत अनुमत कानून अभ्यास के बराबर है।
- (iv) प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र कि व्यावसायिक या अन्य कदाचार की कोई वीआईडब्ल्यूएस कार्यवाही या तो उसके समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं की गई है जो नियम के तहत उसके पंजीकरण के बाद से इस तरह की कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने में नियम 7 सक्षम हैं:
- (v) प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र कि आवेदक के भारत में कानून का अभ्यास जारी रखने की स्थिति में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
- (vi) हलफनामें पर एक घोषणा कि आवेदक को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और नियम 7 के तहत पंजीकरण के बाद किसी भी अनुशासनात्मक मामले में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया गया है। दोषसिद्धि के आदेश /प्रतिकूल आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे अपील और स्थगन, यदि कोई हो, या सजा / जुर्माना भुगतान आदि के आदेश की प्रतियां संलग्न की जानी है।
- (vii) हलफनामें पर एक घोषणा कि आवेदक को भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा स्वयं या ऐसी सरकारी या गैर—सरकारी जांच एजेंसी के माध्यम से पूछताछ और जांच करने के लिए जैसे कि वह उचित समझे, आवेदक द्वारा नवीनीकरण के आवेदन में सलंग्न दस्तावेजों की वास्तविकता और आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए विवरणों की सत्यता की जांच मे कोई आपत्ति नहीं है।
- (4) भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् किसी भी विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म को पंजीकृत करने से इंकार कर सकती है, यदि परिषद की राय में, भारत में पंजीकृत किसी विशेष विदेशी दश के विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी लॉ फर्मों की संख्या अनुपातहीन होने की संभावना है। संबंधित विदेशी देश में पंजीकृत या कानून का अभ्यास करने की अनुमित देने वाले भारतीय अधिवक्ताओं या भारतीय लॉ फर्मों की संख्या के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् संतुलन बनाए रखने या पूर्ण पारस्परिकता सुनिश्चित करने या भारतीय लॉ फर्मों /भारतीय अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विदेशी अधिवक्ताओं और / या विदेशी लॉ फर्म के पंजीकरण की संख्या को सीमित कर सकती है।
- 6. पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क और गारंटी राशि।
- (ए) इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के बाद, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् या परिषद द्वारा इस संबंध में गठित एक सिमति, आवेदन की जांच करेगी। सामग्री की वास्तविकता और आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के संबंध में जांच करेगी। संबंधित देश के साथ पारस्परिकता के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए परिषद प्रासंगिक कानूनों, नियमों और अभ्यास की भी जांच करेगी और इस तरह की जांच और पूछताछ के बाद, यदि आवेदन पंजीकरण के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो परिषद एक अलग पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।
- (बी) परिषद इस तरह के पंजीकरण के तुरंत बाद (कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से) भारत सरकार को सूचित करेगी और ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति भी भेजेगी।
- (सी) पंजीकरण के मामले में, नामित अधिवक्ताओं यानी कुछ अन्य वरिष्ठ वर्ग के अधिवक्ताओं (वे संबंधित विदेशी देश में चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों) ऐसे अधिवक्ताओं को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ या नामित अधिवक्ताओं के अधिकार और विशेषाधिकार है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 23 के तहत निर्धारित।
- (डी) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन के साथ ऐसी राशि का पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क होगा, जो अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता से प्राथमिक योग्यता के संबंधित विदेशी देश में प्रभार्य शुल्क और अन्य शुल्क के बराबर है। वहां कानून का अभ्यास करने के लिए पंजीकरण / अनुमति का लेकिन ऐसा शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क राशि से कम नहीं होगा, जिसे समय समय पर अद्यतन / संशोधित किया जा सकता है।

- (ई) सुरक्षा जमा विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म को वापस किया जाएगा जब वह भारत में विदेशी कानून अभ्यास को स्वेच्छा से समाप्त कर देता है या जब उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है या जब उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है या जब उसका पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है, लेकिन भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् हकदार होगी इस सुरक्षा जमा से नियम 9 और 10 के तहत उसके द्वारा लगाए गए जुर्माने और लागत के बराबर राशि को समायोजित और कटौती करने के मामले में वह भुगतान करने से चूक जाता है।
- (एफ) सुरक्षा जमा को भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा एक अलग मद के तहत रखा जाएगा और उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग इन नियमों के उचित कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- 7. पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदनों का निपटान:--

भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् नियम 4 के तहत दायर पंजीकरण के लिए आवेदन और नियम 5 के तहत दायर नवीनीकरण के लिए अनुमति दे सकती है, अगर यह संतुष्ट है कि आवेदन सभी संबंधित दस्तावाजों द्वारा समर्थित है और इन नियमों के तहत आव'यक सभी शर्तों को पूरा करता है और वह आवेदक किसी भी आपराधिक या अनशासनात्मक कार्यवाही से पीड़ित नहीं है जो उसे इन नियमों के तहत भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए अनुपयुक्त बना सकता है और अंत में प्राथमिक योग्यता वाला देश अधिनियम के तहत नामांकित को उस देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमित देता है तरीके और हद तक जो इन नियमों द्वारा अनुमत कानून अभ्यास के तुलनीय है।

हालांकि, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि आवेदक अधिवक्ता या लॉ फॅर्म को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो। पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति की स्थिति में, आवेदक द्वारा जमा की गई पंजीकरण शुल्क / गारंटी राशि इन नियमों के तहत भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा वसूली योग्य राशियों को समायोजित और घटाकर उसे वापस कर दी जाएगी।

बशर्तें कि भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् कानून और न्याय मंत्रालयों के माध्यम से भारत सरकार के साथ परामर्श कर सकती है, यदि यह किसी विशेष मामले में आवश्यक समझा जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक निर्धारित सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करता है। इन नियमों द्वारा भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश, केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री और /या केन्द्रीय विदेश मामलों के मंत्री, किसी अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता या न्यायविद की राय भी ले सकती है या भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् किसी भी विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म या उनके क्षेत्र के पंजीकरण या पंजीकरण को रद्द करने से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे के विकास के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के सलाहकार बोर्ड के समक्ष मामले को रख सकती है। व्यवहार में यह उपयुक्त और उचित समझे।

हालांकि, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् इन सभी मामलों में अंतिम प्राधिकरण होगी।

बशर्तें कि पूर्वोक्त पंजीकरण और उसका नवीनीकरण, किसी भी तरह से, विदेशी अधिवक्ता या विदेशी कानूनी फर्म को भारत में मुफ्त और अनियमित प्रवेश और रहने का अधिकार नहीं देगा, जिसके लिए वह भारत सरकार, राज्य सरकारों, वैधानिक निकायों या भारत में किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा समय समय जारी किए गए कानूनी आदेशों / निर्देशों द्वारा शासित है।

बशर्ते कि भारत सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर किसी भी समय या यदि यह राय है कि ऐसा पंजीकरण या नवीनीकरण राष्ट्रीय हित के विरूद्व है या किसी भी अन्य वैध आधार पर पूर्वोक्त पंजीकरण या नवीनीकरण को रद्द करने की सिफारिश करने का अधिकार होगा।

बशर्ते कि भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् संबंधित विदेश में एक प्रभावी कानूनी प्रणाली के अस्तित्व के बारे में और किसी भी अनुचित के अस्तित्व के बारे में भी भारत सरकार से कानून और न्याय मंत्रालय या केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से जानकारी मांग सकती है। उस देश में भारतीय अधिवक्ताओं द्वारा कानून के अभ्यास के मामले में भेदभाव और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् पंजीकरण को रद्द करने या पंजीकरण के नवीनीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुक्त कर सकती है, यदि भारत सरकार या तो उसके पूछने पर या अन्यथा प्रमाणित करती है कि एक प्रभावी कानूनी प्रणाली अब संबंधित विदेश में मौजूद नहीं है और भारतीय अधिवक्ताओं को वहां अनुचित भेदभाव के अधीन किया जा रहा है।

विदेशी अधिवक्ताओं द्वारा विधि संबंधी कार्य

- 8. एक विदेशी अधिवक्ता द्वारा वकालतः प्रकृति और उसकी सीमाः
- (1) नियमों के तहत पंजीकृत एक विदेशी अधिवक्ता केवल इन नियमों के तहत निर्धारित अपवादों, शर्तों और सीमाओं के अधीन गैर—मुकदमें के मामलों में भारत में कानून का अभ्यास करने का हकदार होगा और उसे एक अधिवक्ता माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 29, 30 और 33 का अर्थ ऐसे कृत्यों और कर्मों के रूप में है जो उसके द्वारा एक विदेशी अधिवक्ता के रूप में इन नियमों के तहत किए जाने की परिकल्पना की गई है। हालाँकि, एक विदशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म पर अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय 5 के तहत कार्यवाई नहीं की जाएगी; बल्कि किसी भी मूल कदाचार के मामले में, ऐसा किसी भी मामलों में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ऐसे विदशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म के पंजीकरण को रह कर सकती है।

(2) एक विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म द्वारा कानून के अभ्यास के क्षेत्र में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और यदि आवश्यकता हो, तो इस संबंध में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय से परामर्श कर सकती है।

विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी लॉ फर्मों को किसी भी अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्हें लेन—देन संबंधी कार्य / कॉर्पेरेट कार्य जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामलों, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और पारस्परिक आधार पर अन्य संबंधित मामलों पर अभ्यास करने की अनुमित होगी। उन्हें संपत्ति के हस्तांतरण, स्वामित्व जांच या अन्य समान कार्यों से संबंधित किसी भी कार्य में शामिल या अनुमित नहीं दी जाएगी।

एक विदेशी अधिवक्ता और / या विदेशी लॉ फर्म द्वारा कानून के अभ्यास में निम्नखिलित क्षेत्र शामिल होंगेः

- (i) प्राथमिक योग्यता वाले देश के कानूनों के संबंध में काम करना, कारोबार करना, सलाह देना और राय देना;
- (ii) किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, ट्रस्ट, समाज आदि के लिए कानूनी विशेषज्ञता / सलाह देना और अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होना, जिसका / जिसके पास किसी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले में किसी विदेशी देश में पता या प्रमुख कार्यालय या प्रधान कार्यालय है जो भारत में आयोजित किया जाता है और ऐसे मध्यस्थता मामले में विदेशी कानून शामिल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;
- (iii) किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, न्याय, समाज आदि के लिए कानूनी विशेषज्ञता/सलाह देना और अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होना, जिसका/जिसके पास विदेश में प्राथमिक योग्यता वाला पता या प्रमुख कार्यालय या प्रधान कार्यालय है। अदालतों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों, वैधानिक प्राधिकरणों के अलावा अन्य निकायों के समक्ष कार्यवाही जो कानूनी रूप से शपथ पर साक्ष्य लेने के हकदार नहीं हैं, जिसमें प्राथमिक योग्यता वाले देश के विदेश कानून का ज्ञान आवश्यक है:
- (iv) प्राथमिक योग्यता वाले देश के कानूनों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर कानूनी विशेषज्ञता / सलाह प्रदान करना, बशर्तें कि ऐसी कानूनी विशेषज्ञता / सलाह, जब तक कि इन नियमों में अन्यथा प्रदान न की गई हो, किसी भारतीय न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व या दस्तावेजों की तैयारी शामिल नहीं होगी जब तक ऐसी प्रक्रियाओं के संबंध में किसी भी मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज, याचिकाओं आदि को शपथ पर साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए सक्षम नहीं होगा जब तक प्राधिकरण उपरोक्त प्रक्रियाएं पूरी नहीं करता।
- (v) बशर्तें कि भारत में किसी भी राज्य विद्यिज्ञ परिषद् में नामांकित एक अधिवक्ता और इन नियमों और विनियमों के तहत भारत में पंजीकृत किसी विदेशी लॉ फर्म में भागीदार या सहयोगी है, केवल गैर—न्यायालययी वाले मामलों को उठा सकता है और संबंधित मुद्दों पर सलाह दे सकता है। केवल भारतीय कानूनों के अलावा अन्य देशों के लिए, ऐसे अधिवक्ता को भारत में नामांकित अधिवक्ता होने का कोई लाभ / अधिकार नहीं होगा।

- 9 भारत में कानून के अभ्यास के संबंध में कानूनी कार्यालय खोलने, साझेदारी में प्रवेश करने, अन्य कानूनी विशेषज्ञता / सलाह आदि प्राप्त करने के संबंध में प्रासंगिक मामले:—
- (1) पंजीकृत विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म को भारत में कानून के अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित चीजें करने का अधिकार होगा।
- (i) इन नियमों के नियम 8 में उल्लिखित भारत में कानून अभ्यास करने के लिए जिस संपत्ति में कार्यालय / कार्यालय रिश्यत हैं, उस संपत्ति के मालिक / पट्टेदार का नाम और उस पर कब्जा करने के लिए उसे सक्षम करने वाले और उसे अधिकृत करने वाले दस्तावेज, डाक का पता, भारत में कानून कार्यालय या कार्यालय खोलने के लिए और इस शर्त के अधीन कि भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् को ऐसे कार्यालय / कार्यालयों के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा।
- (ii) भारतीय अधिवक्ताओं के रूप में पंजीकृत विदेशी अधिवक्ता एक या एक से अधिक को कानूनी विशेषज्ञता / सलाह देने और संलग्न करने के लिए।
- (iii) भारतीय कानूनों से संबंधित किसी भी विषय पर भारत में किसी भी राज्य विद्यिज्ञ परिषद् में नामांकित किसी अधिवक्ता की कानूनी विशेषज्ञता / सलाह प्राप्त करना। लेकिन ऐसे पंजीकृत विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म इन नियमों के नियम 8 के प्रावधान के तहत उल्लिखित मामलों को छोड़कर किसी भी भारतीय न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी अन्य वैधानिक मंच के समक्ष उपस्थित होने के हकदार नहीं होंगे।
- (iv) इन नियमों के तहत भारत में पंजीकृत एक या एक से अधिक विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी लॉ फर्म के साथ साझेदारी करना।

गलत बयानी आदि द्वारा पंजीकरण सुरक्षित करने के लिए अनुशासनात्मक मुद्दे और दंड।

- 10. अनुशासनात्मक मुद्दे:--
- (1) एक विदेशी अधिवक्ता या इन नियमों के तहत पंजीकृत विदेशी लॉ फर्म से जुड़ा अधिवक्ता सामान्य रूप से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समान नैतिक और अभ्यास मानकों के अधीन होगा जैसा कि अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता हैं।
- (2) जहां एक शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के पास यह मानने का कारण है कि इन नियमों के तहत पंजीकृत कोई भी विदेशी अधिवक्ता या विदेशी कानूनी फर्म भारत में कानूनी अभ्यास के संबंध में पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है या उल्लंघन किया है। इन नियमों के नियमों और शर्तों और / या किसी भी तरह के प्रावधान, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् इस मामले को संबंधित देश के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाई के लिए संदर्भित करेगा। हालांकि, अगर कदाचार या उल्लंघन गंभीर है और रिकॉर्ड के सामने प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है, तो परिषद पंजीकरण को निलंबित कर सकती है और विदेश मामलों के मंत्रालयों और कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार सूचना के साथ मामले को संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण को संदर्भित कर सकती है।
- 11. मिथ्यावर्णन, कपट आदि द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के परिणाम:--
- (1) भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् संतुष्ट होने पर, या तो भारत सरकार द्वारा की गई शिकायत पर या किसी भी व्यक्ति या लॉ फर्म या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात शिकायत होने पर की किसी एक आवश्यक तथ्य छुपाकर या धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के रूप में गलत बयानी द्वारा, एक विदेशी अधिवक्ता या विदेशी लॉ फर्म ने पंजीकरण / पंजीकरण का नवीनीकरण सुरक्षित किया है, तो ऐसे विदेशी अधिवक्ता / विदेशी कानूनी फर्म (जैसा भी मामला हो) को एक सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी राशि के जुर्माने के साथ या उसके बिना, जैसा कि वह उचित समझे पंजीकरण / पंजीकरण के नवीनीकरण को रद्द कर सकता है।

हालाँकि, परिषद यह भी कर सकती है:-

- (ए) शिकायत को खारिज या कार्यवाही बंद कर सकती है अगर तथ्यहीन है।
- (बी) विदेशी अधिवक्ता / विदेशी लॉ फर्म को फटकारना।
- (सी) विदेशी अधिवक्ता / विदेशी कानूनी फर्म के पंजीकरण को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है जो वह उचित समझे;

- (डी) ऐसी राशि का जुर्माना लगा सकता है, जो वह उचित समझे।
- (ई) लागत लगाना।

12 विनियामक प्राधिकरण।

भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् को समय समय पर ऐसे निर्देश और विनियम जारी करने का अधिकार होगा, जो इन नियमों के उचित कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार (कानून और न्याय मंत्रालय और /या विदेश मंत्रालय) के परामर्श से विभिन्न विदेशी देशों में कानूनी पेशे के वियमन में अपने समकक्षों यानी वैधानिक अधिकारियों के साथ विचार—विमर्श और परामर्श कर सकती है। गृह मंत्रालय या भारत सरकार का कोई अन्य मंत्रालय पारस्परिकता के सिद्वांत पर तािक वैश्वीकरण के साथ तालमेल रखने के लिए भारत में कानूनी पेशे को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए और कानूनी पेशे का एक जीवंत और प्रभावी ढांचा प्रदान किया जा सके जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लोगों की लगातार बदलती जरूरतों के लिए, विभिन्न धर्मों, विश्वासों से संबंधित और अलग अलग व्यक्तिगत कानून रखने वाले, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने और अंतरराष्ट्रीय प्रगति, सुसंगतता और एकता को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् जिम्मेदार हैं: परिषद के पास किसी भी विदेशी अधिवक्ता या कानूनी फर्म के पंजीकरण को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार है, अगर यह किसी भी खोत के माध्यम से परिषद के संज्ञान में आता है कि भारतीय अधिवक्ता या भारतीय कानून किसी भी तरह से संबंधित समकक्ष विदेशी देश द्वारा फर्मों के साथ भेदभाव किया जा रहा हैं। परिषद संबंधित विदेशी अधिवकताओं /विदेशी कानूनी फर्म या संबंधित सरकार को अपने विचार रखने का अवसर देने के बाद ऐसे पंजीकरण को रद्द कर देगी।

13 कठिनाइयों का निवारण:-

यदि इन नियमों के अर्थ, व्याख्या और निष्पादन के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे सभी विवादों को हल करने और निपटाने के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् अंतिम प्राधिकारी होगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची

(i) विदेशी अधिवक्ता के मामले में पंजीकरण शुल्क, यदि वह एक व्यक्ति है:

यूएसडी 25,000 (यूएसडी पच्चीस हजार मात्र);

(ii) विदेशी अधिवक्ता के मामले में पंजीकरण शुल्क, यदि यह एक फर्म, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरिशप, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरिशप (एलएलपी) आदि है:

यूएसडी 50,000 / - (यूअसडी पचास हजार मात्र);

(iii) विदेशी अधिवक्ता के मामले में नवीनीकरण शुल्कः

यूएसडी 10,000 / – (यूअसडी दस हजार केवल);

(iv) एक विदेशी अधिवक्ता के मामले मे नवीनीकरण शुल्क, यदि यह एक फर्म, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) आदि है।

यूएसडी 20,000 / - (यूअसडी बीस हजार मात्र);

- (ई) पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ निम्नानुसार सुरक्षा जमा राशि भी संलग्न की जाएगी :--
- (i) विदेशी अधिवक्ता के मामले में सुरक्षा जमा, यदि वह एक व्यक्ति है:

यूएसडी 15,000 / - (यूअसडी पंद्रह हजार मात्र);

(ii) विदेशी अधिवक्ता के मामले में गारंटी राशि, यदि यह एक फर्म, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, कंपनी, सीमित देयता भागीदार (एलएलपी) आदि है:

यूएसडी 40,000 / - (यूअसडी चालीस हजार मात्र);

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./688/2022-23]

BAR COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2023

Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022

Objects and Reasons:

- **No. BCI: D: 1260/2023.**—1. In India Legal profession is treated as a noble profession. There is and should be no commercial competition or procurement associated with the Legal Profession. Legal Profession is not treated as a commercial activity or service in India. Law is not a trade, and briefs no merchandise so the leaven of commercial competition or procurement should not vulgarize the legal profession (Hon'ble Justice Krishnairyer, V.R.)
- 2. In the opinion of Bar Council of India the legal profession in India has to rise to the occasion to meet the global changes in the Legal Arena caused by migration of people from one country to other on such a large scale that had not been witnessed in earlier days. The world is becoming a global village.
- 3. International trade and commerce is advancing at a great pace. The demand for an open, responsive and receptive legal professional dispensation mechanism in India from clients/public who operate in international and cross-country business is becoming severe day by day. Growth in international legal work sphere and globalization of legal practice and internationalization of the law is increasingly becoming relevant to the growth of the legal profession and practices in India.
- 4. Bar Council of India was initially opposing entry of foreign lawyers and foreign law firms in India in any form. However, it was authorized by the legal fraternity of the Country in the years 2007-2014 in Joint Consultative Conferences of Bar Council of India and Chairmen, Vice-Chairmen and Chairmen of Executive Committees of all the State Bar Councils in India to hold dialogue and to interact with the Government of India, Ministry of Law and Justice, Ministry of Trade and Commerce and Law Councils/Law Societies of foreign countries to explore the potential and prospects of opening the law practice in India to foreign lawyers in the field of practice of foreign law and diverse international legal issues in non-litigious matters on the principle of reciprocity and it has been doing so. In the interregnum, came the judgment of the Bombay High Court on 16.12.2009 in Lawyers Collective Versus Bar Council of India in which the Bombay High Court held that Reserve Bank of India was not justified in granting permission to the foreign law firms to open liaison offices in India. It was further held that the expression "to practice the profession of law" in Section-29 of Advocates Act, 1961 is wide enough to cover the persons practicing in litigious matters as well as persons practicing in non-litigious matters, and, therefore, to practice in non-litigious matters in India, the respondents were bound to follow provisions contained in Advocates Act, 1961.
- 5. The Madras High Court delivered a Judgment on 21.12.2012 in A.K. Balaji Versus Govt. of India which, interalia, held as follows:-
 - "After giving our anxious consideration to the matter, both on facts and on law, we come to the following conclusion:-
 - (i) Foreign law firms or foreign lawyers cannot practice the profession of law in India either on the litigation or non-litigation side, unless they fulfill the requirement of the Advocates Act, 1961 and the Bar Council of India Rules.
 - (ii) However, there is no bar either in the Act or the Rules for the foreign law firms or foreign lawyers to visit India for a temporary period on a "fly in and fly out" basis, for the purpose of giving legal advise to their clients in India regarding foreign law or their own system of law and on diverse international legal issues.
 - (iii) Moreover, having regard to the aim and object of the International Commercial Arbitration introduced in the Arbitration and Conciliation Act, 1996, foreign lawyers cannot be debarred to come to India and conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration.

- 6. Both the above judgments were challenged in the Supreme Court. While Bar Council of India challenged the Judgment of the Madras High Court, Lawyers Collective challenged the judgment of Bombay High Court.
- 7. The Hon'ble Supreme Court vide Judgment dated 13.3.2018 disposed of the appeals in both matters under the Civil Appeal Nos. 7875-7879 of 2015 with Civil Appeal Nos. 7170 of 2015 and Civil Appeal Nos. 8028 of 2015 in Bar Council of India Vs. A. K. Balaji and Ors. after consideration of the issues and held that:-
- "37. We have considered the rival submissions. Questions for consideration mainly arise out of directions in para 63 of the Madras High Court judgment which have already been quoted in the beginning of this judgment. viz.:
 - (i) Whether the expression 'practise the profession of law' includes only litigation practice or non-litigation practice

also;

- (ii) Whether such practice by foreign law firms or foreign lawyers is permissible without fulfilling the requirements of Advocates Act and the Bar Council of India Rules;
- (iii) If not, whether there is a bar for the said law firms or lawyers to visit India on 'fly in and fly out' basis for giving legal advice regarding foreign law on diverse international legal issues;
- (iv) Whether there is no bar to foreign law firms and lawyers from conducting arbitration proceedings and disputes arising out of contracts relating to international commercial arbitration;
- (v) Whether BPO companies providing integrated services are not covered by the Advocates Act or the Bar Council of India rules.

RE: (i)

- "38. In **Pravin C. Shah versus K.A. Mohd. Ali17**, it was observed that right to practice is genus of which right to appear and conduct cases is specie. It was observed:
 - ".......The right of the advocate to practise envelopes a lot of acts to be performed by him in discharge of his professional duties. Apart form appearing in the courts he can be consulted by his clients, he can give his legal opinion whenever sought for, he can draft instruments, pleadings, affidavits or any other documents, he can participate in any conference involving legal discussions etc."

In Ex. Capt. Harish Uppal versus Union of India18, same view was reiterated.

"39. Ethics of the legal profession apply not only when an advocate appears before the Court. The same also apply to regulate practice outside the Court. Adhering to such Ethics is integral to the administration of justice. The professional standards laid down from time to time are required to be followed. Thus, we uphold the view that practice of law includes litigation as well as non litigation.

RE: (ii)

"40. We have already held that practicing of law includes not only appearance in courts but also giving of opinion, drafting of instruments, participation in conferences involving legal discussion. These are parts of non-litigation practice which is part of practice of law. Scheme in Chapter-IV of the Advocates Act makes it clear that advocates enrolled with the Bar Council alone are entitled to practice law, except as otherwise provided in any other law. All others can appear only with the permission of the court, authority or person before whom the proceedings are pending. Regulatory mechanism for conduct of advocates applies to non-litigation work also. The prohibition applicable to any person in India, other than advocate enrolled under the Advocates Act, certainly applies to any foreigner also.

RE: (iii)

"41. Visit of any foreign lawyer on fly in and fly out basis may amount to practice of law if it is on regular basis. A casual visit for giving advice may not be covered by the expression 'practice'. Whether a particular visit is casual or frequent so as to amount to practice is a question of fact to be determined from situation to situation. Bar Council of India or Union of India are at liberty to make appropriate rules in this regard. We may, however, make it clear that the contention that the Advocates Act applies only if a person is practicing Indian law cannot be accepted. Conversely, plea that a foreign lawyer is entitled to practice foreign law in India without subjecting himself to the regulatory mechanism of the Bar Council of India Rules can also be not accepted. We do not find any merit in the contention that the Advocates Act does not deal with companies or firms and only individuals. If prohibition applies to an individual, it equally applies to group of individuals or juridical persons.

RE: (iv)

"42. It is not possible to hold that there is absolutely no bar to a foreign lawyer for conducting arbitrations in India. If the matter is governed by particular rules of an institution or if the matter notherwise falls under Section 32 or 33,

there is no bar to conduct such proceedings in prescribed manner. If the matter is governed by an international commercial arbitration agreement, conduct of proceedings may fall under Section 32 or 33 read with the provisions of the Arbitration Act. Even in such cases, Code of Conduct, if any, applicable to the legal profession in India has to be followed. It is for the Bar Council of India or Central Government to make a specific provision in this regard, if considered appropriate.

RE: (v)

- "43. The BPO companies providing range of customized and integrated services and functions to its customers may not violate the provisions of the Advocates Act, only if the activities in pith and substance do not amount to practice of law. The manner in which they are styled may not be conclusive. As already explained, if their services do not directly or indirectly amount to practice of law, the Advocates Act may not apply. This is a matter which may have to be dealt with on case to case basis having regard to a fact situation.
 - "44. In view of above, we uphold the view of the Bombay High Court and Madras High Court in para 63 (i) of the judgment to the effect that foreign law firms/companies or foreign lawyers cannot practice profession of law in India either in the litigation or in non-litigation side. We, however, modify the direction of the Madras High Court in Para 63(ii) that there was no bar for the foreign law firms or foreign lawyers to visit India for a temporary period on a "fly in and fly out" basis for the purpose of giving legal advice to their clients in India regarding foreign law or their own system of law and on diverse international legal issues. We hold that the expression "fly in and fly out" will only cover a casual visit not amounting to "practice". In case of a dispute whether a foreign lawyer was limiting himself to "fly in and fly out" on casual basis for the purpose of giving legal advice to their clients in India regarding foreign law or their own system of law and on diverse international legal issues or whether in substance he was doing practice which is prohibited can be determined by the Bar Council of India. However, the Bar Council of India or Union of India will be at liberty to make appropriate Rules in this regard including extending Code of Ethics being applicable even to such cases.
 - 45. We also modify the direction in Para 63 (iii) that foreign lawyers cannot be debarred from coming to India to conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration. We hold that there is no absolute right of the foreign lawyer to conduct arbitration proceedings in respect of disputes arising out of a contract relating to international commercial arbitration. If the Rules of Institutional Arbitration apply or the matter is covered by the provisions of the Arbitration Act, foreign lawyers may not be debarred from conducting arbitration proceedings arising out of international commercial arbitration in view of Sections 32 and 33 of the Advocates Act. However, they will be governed by code of conduct applicable to the legal profession in India. Bar Council of India or the Union of India are at liberty to frame rules in this regard.
 - 46. We also modify the direction of the Madras High Court in Para 63(iv) that the B.P.O. Companies providing wide range of customized and integrated services and functions to its customers like word processing, secretarial support, transcription services, proof reading services, travel desk support services, etc. do not come within the purview of the Advocates Act, 1961 or the Bar Council of India Rules. We hold that mere label of such services cannot be treated as conclusive. If in pith and substance the services amount to practice of law, the provisions of the Advocates Act will apply and foreign law firms or foreign lawyers will not be allowed to do so."
- 8. Further, it is relevant to note that recently in course of some discussions and deliberations with the Law Society of England & Wales and some Governmental delegates of U.K. with the Secretary of Department of Legal Affairs, Government of India, it has been stated by the side of U.K. that Indian lawyers/law firms can establish in England and Wales and can practice Indian law, international law as well as provide English law advice. They however normally cannot practice in any of the six reserved activities detailed in the high-level summary of the regulation of foreign lawyers in UK (e.g. exercise of a right to audience/appear before a Court, conduct litigation, carry out reserved instrument activities (a contract to grant a short lease, a will or other testamentary instrument, an agreement not intended to be executed as a deed, other than a contract that is included above, a letter or power of attorney, a transfer of stock containing no trust or limitation of the transfer, conveyancing of property and similar work), probate activities, administration of oaths, notarial activities). The Bar Council/Bar Standards Board also has a process for temporary call to the Bar for a visiting advocates engaged in one case/a series of cases before the English courts.

As per the delegates of U.K. the Indian lawyers only need to register as Registered Foreign Lawyers (RFL) if they are in partnership with solicitors of England and Wales. They remain in any case under the regulatory remit of their Home Bar (Bar Council of India).

As per discussions, there is already a way to requalification for Indian advocates through the Solicitors Qualification Examination (SQE), with a process to apply for eligible exemptions.

The Bar Council of India proposes to examine such truth/the veracity of such statements and its ramifications in details, and, shall hold enquiries and further deliberations after involving the Government of India through Ministry of Law and Justice and the Government of U.K. and the Bar Council of India, and thereafter may also think to introduce some Qualifying Exam for the purpose of eligibility and exemptions in similar manner, if it does not adversely effect the interest of Indian Lawyers/Law Firms and the Government of India.

It is also to be noted that the Bar Council of India is keen to progress on the idea of an MoU between the Bar Council of India, the Government of India (through Ministry of Law and Justice) on one part and the Law Society of England and Wales, Government of U.K., Bar Council of England and Wales, on the other.

The U.K. Delegates have also assured the Bar Council of India that the Authorities in U.K. are also keen and interested in the means of collaboration, cooperation and joint practice between Indian advocates and UK lawyers.

9. Time has come to take a call on the issue. Bar Council of India is of the view that opening up of law practice in India to foreign lawyers in the field of practice of foreign law; diverse international legal issues in non-litigious matters and in international arbitration cases would go a long way in helping legal profession/domain grow in India to the benefit of lawyers in India too. It is noteworthy that the standards of Indian lawyers in proficiency in law is comparable with the international standards and the legal fraternity in India is not likely to suffer any disadvantage in case law practice in India is opened up to foreign lawyers in a restricted and well controlled and regulated manner on the principle of reciprocity as it would be mutually beneficial for lawyers from India and abroad and these Rules are an attempt by Bar Council of India in this direction. These rules will also help to address the concerns expressed about flow of Foreign Direct Investment in the country and making India a hub of International Commercial Arbitration. In case, we sleep over the matter, the legal fraternity of India may be left behind in providing legal/professional expertise in accordance to the rule of law in a manner consistent with the best interests of this fast growing class of clients in India. Let us ensure than an opportunity for creating development and growth for legal profession and in the legal sphere in India is not lost.

Many countries have already allowed the foreign lawyers to practice foreign law and diverse international legal issues and arbitration matters in their countries in restricted fields with specific and prescribed conditions.

10. Taking an all-inclusive view, the Bar Council of India resolves to implement these Rules enabling the foreign lawyers and Foreign Law Firms to practice foreign law and diverse international law and international arbitration matters in India on the principle of reciprocity in a well defined, regulated and controlled manner.

For the aforesaid reasons and in order to meet the aforesaid objectives, the Bar Council of India has framed the Bar Council of India Rules for registration of foreign lawyers and foreign Law Firms in India, 2021 under its rule making powers under clauses (d), (e), (ic), (1) and (m) of sub-section (1) of section 7 and clauses (ah), (ag), (c), (e) and (h) of sub-section (1) of section 49 read with sections 24, 29 and 47 of the Advocates Act, 1961 and under all other enabling provisions.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.:
 - (a) These Rules shall be called as the Bar Council of India Rules for registration and regulation of foreign lawyers or foreign law firms in India.
 - (b) These Rules shall come into force in whole of India as soon as notified in the official Gazette.
- 2. Definitions.:-
 - (i) 'Act' means The Advocates Act, 1961 as amended from time to time.
 - (ii) The definitions of different terms as given in the Act shall apply to these Rules as well.
 - (iii) 'Foreign lawyer' means a person, including a law firm, limited liability partnership, company or a corporation, by whatever name called or described, who/which is entitled to practice law in a foreign country.

Indian lawyers means an Advocate enrolled on the roll of any of the State Bar Council of India in accordance with the provisions of the Advocate Act, 1961.

Indian law firms means as partnership/LLP firm with Indian Lawyers as its partners.

- (iv) 'Foreign Country' means a country, which is recognized as such by the Government of India and it includes a constituent State thereof in case such as a foreign country has a federal structure of governance and such constituent State has its own justice-delivery system and a separate class of persons entitled to practice law.
- (v) 'Country of the primary qualification' means a foreign country in which the foreign lawyer is entitled to practice law as per law of that country.
- (vi) 'Foreign law' means a law, which is or was effective, in the country of primary qualification.
- (vii) 'Competent Authority of the foreign country' means the government or a Court of law or a statutory authority or Bar Council or Legally authorized Association or any other legally recognized and constituted body by whatever name called or described, which is competent to grant license to practice law.
- (viii) "International commercial arbitration' means an alternative method of resolving disputes concerning commercial transactions which is conducted in India in which all or any of the parties are persons/entities who have their registered address or principal office or head office in a foreign country.
- (ix) "International arbitration case' means an arbitration case concerning a commercial or monetary matter which is conducted in India in which all or any of the parties are persons who have an address or principal office or head office in a foreign country.
- (x) Foreign client means an individual/s who is/are citizen/s of a foreign nation or a firm/corporation/business entity having its registered office/head office in a foreign country with a branch/regional office or manufacturing unit in India.

CHAPTER-II

REGISTRATION OF FOREIGN LAWYERS OR FOREIGN LAW FIRMS AND THE EXTENTAND CONDITIONS SUBJECT TO WHICHTHEY CANPRACTICE LAW IN INDIA

- 3. Registration of foreign lawyers or foreign law firms and eligibility criteria there for .:-
 - (1) A foreign lawyer or foreign law firm shall not be entitled to practice law in India unless he/it is registered with the Bar Council of India under these Rules:
 - Provided that this prohibition will not apply to law practice by a foreign lawyer or foreign law firm in case such practice is done on a 'fly in and fly out basis' for the purpose of giving legal advice to the client in India regarding foreign law and on diverse international legal issues and provided further that such expertise/advise of such a foreign lawyer or foreign law firm had been procured by the client in a foreign country and foreign lawyer or foreign law firm does not maintain an office in India for the purpose of such practice and lastly such practice in India for one or more periods does not, in aggregate, exceed 60 days in any period of 12 months.
 - (2) 'Right to practice law' in the concerned 'foreign country of the primary qualification' shall be the primary qualification for practicing law in India under these rules.

CHAPTER-III

APPLICATIONS FOR REGISTRATION, RENEWAL OF REGISTRATION AND MATTERS CONNECTED WITH LAW PRACTICE IN INDIA

- 4. Application for registration.:-
 - (1) A foreign lawyer or foreign law firm may apply for registration under these rules in 'FORM A' appended to these Rules along with registration fee and guarantee amount either in person or through registered Post. This application and fee may also be submitted on-line.
 - Such an application shall also be accompanied by non-refundable Process charges of such an amount as may be fixed by Bar Council of India from time to time. This application shall be addressed to the Secretary, Bar Council of India and shall be accompanied by the following documents:
 - (i) A certificate from the Government of India, (Ministry of Law & Justice and Ministry of External Affairs and Trade) or such other authority or officer as Union Government may authorize in this behalf that an effective legal system exists in concerned foreign country of the primary qualification and that it has no objection in case the applicant is registered under these Rules and practices law in India; (However the Bar Council of India may seek any information from any departments/Ministries of any foreign Countries, if it thinks

- necessary and/or it may contact any. Foreign Government/Department in case if any information required.)
- (ii) A certificate from the Competent Authority of the concerned foreign country of primary qualification certifying that the applicant is entitled to practice law in that Country;
- (iii) A certificate from the Government of the foreign country of primary qualification or from a competent Authority thereof certifying that advocates enrolled under the Advocates Act, 1961 are permitted to practice law in that country in the manner and to the extent which is comparable to the law practice permitted under these Rules along with copies of the relevant Laws and Rules;
- (iv) A certificate from the Competent Authority of the concerned country of primary qualification or any other competent authority/ies, Courts, Bar Association, Bar Council etc. that the applicant has been in practice in that country;
- (v) A certificate of the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification that no proceedings of professional or other misconduct are pending either before it or before any other authority competent to entertain and decide such proceedings;
- (vi) A certificate of the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification giving details of the fee structure and other amounts chargeable from an advocate enrolled under the Act for enabling him to practice law in that country along with relevant Rules and Laws;
- (vii) 'No objection Certificate' of the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification that it has no objection in case the applicant starts law practice in India and that the applicant enjoys a good standing in the Bar.
- (viii) A declaration on affidavit that the applicant has not been convicted of any offence and has not suffered any adverse order in any disciplinary matter. (In case he has suffered relevant attested any conviction/adverse order, copies of the order of conviction/adverse order and other related documents about the matter like appeal and stay, if any, or sentence/fine suffered/paid etc. are to be annexed);
- (ix) A declaration on affidavit that the applicant has no objection and consents to the making of enquiries and investigation by the Bar Council of India on its own or through such government or non-government investigating agency, as it may deem fit, to verify the veracity of the particulars disclosed by the applicant in the application and genuineness of the documents annexed therewith;
- (x) An undertaking on oath that he/it shall not practice Indian law in any form or before any court of Law, Tribunal, Board or any other Authority legally entitled to record evidence on oath;
- (xi) A declaration on oath that he/it shall not be entitled to and shall not claim any interest on the guarantee amount deposited by him/it with Bar Council of India at the time of registration under these Rules and that the Bar Council shall be entitled to adjust and apply this guarantee amount to the penalty and cost amounts that may be awarded by the Bar Council of India under the provisions of these Rules;
- (xii) A declaration on oath that the applicant fully understands and appreciates the fact that on registration under rule 7 of these Rules, the Advocates Act, 1961 and Rules made there under, mutatis mutandis, apply to him/it in respect of law practice by him/it in India and that he/it is subject to the jurisdiction of Courts of Law in India and to the jurisdiction of Bar Council of India in relation to such practice.
- 5. Validity of registration and renewal of registration. :-
 - (1) The registration done under rule 7 shall be valid for a period of 5 (five) years only and the foreign lawyer and/or Law Firm would be required to renew it by filing an application for renewal in Form B within 6 months before the date on which such validity expires.
 - (2) A foreign lawyer or foreign Law Firm may apply for renewal of registration under these rules in 'FORM B' appended to these Rules along with renewal fee either in person or through registered Post.
 - (3) This application for renewal shall be addressed to the Secretary, Bar Council of India and shall be accompanied by the following documents: -

- (i) A certificate from the government of India or such other authority or officer as it may authorize in this behalf that an effective legal system continues exist in concerned foreign country of the primary qualification since his/its registration under rule 7 and that it has no objection in case the registration of the applicant is renewed under these Rules and he/it continues to practice law in India;
- (ii) Certificate from the Competent Authority of the concerned foreign country of primary qualification certifying that the applicant continues to be entitled to practice law in that Country since his/its registration under rule 7;
- (iii) A certificate from the government of the foreign country of primary qualification or from a competent Authority there of certifying that advocates enrolled under the Advocates Act, 1961 are continued to be permitted to practice law in that country in the manner and to the extent which is comparable to the law practice permitted under these Rules since his/its registration under rule 7 along with copies of the relevant law and Rules.
- (iv) Certificate of the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification that no VIEWS proceedings of professional or other misconduct have been filed either before it or before any other authority competent to entertain and decide such proceedings since his/its registration under rule 7;
- (v) "No objection Certificate of the competent authority of the concerned foreign country of primary qualification that it has no objection in case the applicant continues to practice law in India.
- (vi) A declaration on affidavit that the applicant has not been convicted of any offence and has not suffered any adverse order in any disciplinary matter after registration under rule 7. (In case it/he has suffered any conviction/adverse order, relevant attested copies of the order of conviction/adverse order and other related documents about the matter like appeal and stay, if any, or sentence/fine suffered/paid etc. are to be annexed);
- (vii) A declaration on affidavit that the applicant has no objection and consents to the making of enquiries and investigation by the Bar Council of India on its own or through such government or non-government investigating agency, as it may deem fit, to verify the veracity of the particulars disclosed by the applicant in the application for renewal and genuineness of the documents annexed therewith.
- (4) The Bar Council of India may refuse to register any Foreign Lawyer or Foreign Law Firm, if in the opinion of the Council, the number of Foreign Lawyers or Foreign Law Firms of any particular Foreign country registered in India is likely to become disproportionate to the number of Indian Lawyers or Indian Law Firms registered or allowed to practice law in the corresponding foreign country. Bar Council of India may limit the number of registration of Foreign Lawyers and/or Foreign Law Firm in order to maintain a balance or to ensure complete reciprocity or to protect the interest of Indian Law Firms/Indian Lawyers.
- 6. Registration and renewal fee and guarantee amount:-
 - (A) After receipt of such application, the Bar Council of India or a committee constituted by the Council in this behalf, shall examine the application, hold an enquiry with regard to genuineness of the contents and the documents attached with the application. The Council will also examine the relevant Laws, Rules and practice in order to ascertain the truth about the reciprocity with the concerned foreign country. And after such examination and enquiry, if the application is found to be fit for registration, the Council shall grant a Certificate of Registration with a separate Registration Number.
 - (B) The Council will inform the Government of India (through the Ministry of Law and Justice) soon after such registration and shall also send a copy of such Registration certificate.
 - (C) In the matter of Registration, the Designated Advocates i.e. some other superior class of Advocates (by whatever name they are known in the concerned foreign country) such Advocates shall be given preference as the rights and privileges of such senior or Designated Advocates are prescribed under Section 23 of the Advocates Act 1961.
 - (D) An application for registration/renewal of registration shall be accompanied by registration/renewal fee of such an amount as is equivalent to the fee and other charges chargeable in the concerned foreign country of primary qualification from an advocate enrolled under the Act on account of registration/permission to practice law there but such fee shall not be less than fee amount as per the schedule, which may be updated/amended from time to time.

- (E) The Security deposit shall be returnable to the foreign lawyer or Foreign Law Firm when he/it voluntarily terminates foreign law practice in India or when its/his registration expires or when his registration is cancelled permanently but Bar Council of India shall be entitled to adjust and deduct amounts equivalent to the penalty and costs imposed by it on it/him under rule 9 and 10 from this Security deposit in case it/he omits to pay.
- (F) The Security deposit shall be kept by the Bar Council of India under a separate Head and interest accruing thereon shall be used by it for meeting its expenses for the due implementation and management of these Rules.
- 7. Disposal of applications for registration and renewal:-

The Bar Council of India may allow the application for registration filed under rule 4 and for renewal filed under rule 5, if it is satisfied that the application is supported by all the relevant documents, and fulfills all the conditions as required under these Rules and that the applicant does not suffer from any criminal or disciplinary proceedings that are likely to make him/it unsuitable for practicing law in India under these rules and lastly that the country of the primary qualification allows advocates enrolled under the Act to practice law in that country in the manner and to the extent which is comparable to the law practice permitted by these Rules.

However, the Bar Council of India may not reject an application for registration/renewal unless a reasonable opportunity of being heard has been afforded to the applicant Advocate or Law Firm. In the event of rejection of application for registration/renewal, the registration fee/renewal fee/guarantee amount deposited by the applicant shall be returned to him after adjusting and deducting such amounts as are recoverable by the Bar Council of India under these Rules.

Provided that the Bar Council of India may, hold consultation with the Government of India through the Ministries of Law and Justice, if the same is deemed necessary in a particular case, to ensure that the applicant fulfills all the relevant requirements and conditions as laid down by these Rules. The Bar Council of India may also seek the opinion of the Hon'ble Chief Justice of India or any sitting Judge of Supreme Court, the Union Minister of Law & Justice and / or the Union Minister for Foreign Affairs, any other Senior Advocate or Jurist or the Bar Council of India may place the matter before Advisory Board of Bar Council of India for the Development of Legal Education & Legal Profession on any issue relating to registration or cancellation of registration of any foreign lawyer or foreign law firm or their area(s) of practice it deems fit and proper.

However, Bar Council of India shall be the final authority in all these matters.

Provided that the aforesaid registration and renewal thereof shall not, in any way, entitle the foreign lawyer or foreign law firm to have free and unregulated entry and stay in India for which it/he remains governed by the Indian Law and lawful orders/instructions issued by the Government of India, State Governments, statutory bodies or any other competent authorities in India from time to time.

Provided further that the government of India shall have the right of recommending cancellation of the aforesaid registration or renewal at any time on the ground of national security or if it is of the opinion that such registration or renewal is against the National interest, or for any other valid ground.

Provided further that the Bar Council of India may seek information from the Government of India through and Ministry of Law and Justice or various Ministries of Union Government about the existence of an effective legal system in the concerned foreign country and also about the existence of any unfair discrimination in the matter of law practice by Indian advocates in that country and Bar Council of India may initiate proceedings for cancellation of registration or for cancellation of renewal of registration in case government of India certifies, either on its asking or otherwise, that an effective legal system no longer exists in the concerned foreign country and that Indian Lawyers are being subjected to unfair discrimination there.

CHAPTER-IV

LAW PRACTICE BY FOREIGN LAWYERS

- 8. Law practice by a foreign lawyer: nature and extent thereof:-
 - (1) A foreign lawyer registered under rules shall be entitled to practice law in India in non-litigious matters only subject to such exceptions, conditions and limitations as are laid down under these Rules and he/it shall be deemed to be an advocate within the meaning sections 29, 30 and 33 of the Act qua such acts and deeds as are envisaged to be performed by him under these Rules as a foreign lawyer. However, a foreign Lawyer or Foreign Law Firm shall not be proceeded under Chapter V of the Advocates Act; rather in case of any substantive misconduct, the Bar Council of India may cancel the registration of such Foreign Advocate or Foreign Law Firm as the case may be.

(2) The areas of practice of law by a foreign lawyer or Foreign Law Firm shall be laid down by Bar Council of India And if need be, the Bar Council of India may consult the Govt. of India, Ministry of Law and Justice in this regard.

The foreign lawyers or foreign Law Firms shall not be permitted to appear before any courts, tribunals or other statutory or regulatory authorities.

They shall be allowed to practice on transactional work /corporate work such as joint ventures, mergers and acquisitions, intellectual property matters, drafting of contracts and other related matters on reciprocal basis.

They shall not be involved or permitted to do any work pertaining to conveyancing of property, Title investigation or other similar works.

The Practice of Law by a Foreign Lawyer and/or Foreign Law Firm shall include the following arenas:-

- (i) doing work, transacting business, giving advice and opinion concerning the laws of the country of the primary qualification;
- (ii) providing legal expertise/advise and appearing as a lawyer for a person, firm, company, corporation, trust, society etc. who/which is having an address or principal office or head office in a foreign country in any international arbitration case which is conducted in India and in such arbitration case "foreign law may or may not be involved;
- (iii) providing legal expertise/advise and appearing as a lawyer for a person, firm, company, corporation, trust, society etc. who/which is having an address or principal office or head office in the foreign country of the primary qualification in proceedings before bodies other than Courts, Tribunals, Boards, statutory authorities who are not legally entitled to take evidence on oath, in which knowledge of foreign law of the country of the primary qualification is essential;
- (iv) providing legal expertise/advise concerning the laws of the Country of primary qualification and on diverse international legal issues, provided that such legal expertise/advise, unless otherwise provided for in these Rules, shall not include representation or the preparation of documents regarding procedures before an Indian Court of Law, Tribunal or any other Authority competent to record evidence on oath or preparation of any documents, petitions etc. to be submitted to any such forum regarding such procedures.
- (v) Provided that an Advocate enrolled with any State Bar Council in India and is a partner or Associate in any Foreign Law Firm registered in India under these rules and regulations, can take up only the non-litigious matters and can advise on issues relating to countries other than the Indian Laws only. Such Lawyer shall have no advantage / right of his being an Advocate enrolled in India.
- 9. Incidental matters as regards opening of law offices, entering into partnerships, procuring other legal expertise/advise etc. in connection with the practice of law in India.:-
 - (1) The registered foreign lawyer or foreign Law Firm shall be entitled to do the following things in connection with the practice of law in India: -
 - (i) to open law office or offices in India for carrying on law practice in India as mentioned in Rule 8 of these Rules and subject to the condition that Bar Council of India shall be kept informed of the particulars of such office/offices viz. postal address, name of the owner/lessee of the property in which the office/offices are located and the documents enabling and entitling him/it to occupy it.
 - (ii) to engage and procure legal expertise/advise of one or more Indian Advocates Registered as foreign lawyers,
 - (iii) to procure the legal expertise/advise of any Advocate enrolled with any State Bar Council in India on any subject relating to Indian Laws. But such registered foreign lawyer or foreign Law Firm shall not be entitled to appear before any Indian Court, Tribunal or any other statutory forum except for the maters mentioned under provision of Rule 8 of these Rules.
 - (iv) to enter into Partnership with one or more Foreign Lawyers or Foreign Law Firm registered in India under these rules.

CHAPTER-V

DISCIPLINARY ISSUES AND PENALTIES FOR SECURING REGISTRATION BY MISREPRESENTATION ETC.

- 10. Disciplinary issues. :-
- (1) A foreign lawyer or Lawyer associated with foreign Law Firm registered under these rules shall normally be subject to the same ethical and practice standards laid down under the Advocates Act, 1961 and Rules made there under as are the advocates enrolled under the Act.
- Where on receipt of a complaint or otherwise the Bar Council of India has reason to believe that any foreign lawyer or foreign law firm registered under these Rules has been guilty of professional or other misconduct in connection with law practice in India or has violated the terms and conditions and / or provisions of these Rules in any manner, the Bar Council of India shall refer the matter to the Disciplinary authority of the concerned foreign country for the needful. However, if the misconduct or violation is grave and prima-facie apparent on face of record, then the Council may suspend the registration and refer the matter to the concerned Disciplinary Authority, with intimation of Government of India through Ministries of Foreign Affairs and Ministry of Law and Justice.
- 11. Consequences of securing registration by misrepresentation, fraud etc.: -
 - The Bar Council of India may, if satisfied, either on a complaint made to it either by the Govt. of India or any individual or otherwise that any person or Law Firm has secured registration/renewal of registration as a foreign lawyer or foreign Law Firm by misrepresentation as to an essential fact or by fraud or undue influence, it may make, after giving him/it an opportunity of being heard, cancel the registration/renewal of registration of such a foreign lawyer/Foreign law firm (as the case may be) with or without penalty of such an amount as it may deem fit.

However, the Council may also :-

- (a) dismiss the complaint or drop the proceedings; if there is no substance in it.
- (b) reprimand the Foreign Lawyer/Foreign Law Firm.
- (c) suspend the registration of the foreign lawyer/foreign law firm for such period as it may deem fit;
- (d) impose penalty of such an amount as it may deem fit;
- (e) impose costs.

CHAPTER-VI

12. Regulatory authority. –

The Bar Council of India shall have the right of issuing such directions and regulations from time to time, as are necessary for the proper implementation and execution of these Rules. The Bar Council of India may hold deliberations and consultations with its counterparts i.e. statutory authorities in regulation of the legal profession in different foreign countries in consultations with the Government of India (Ministry of Law and Justice and/or Ministry of External Affairs or if necessary the Ministry of Home Affairs or any other Ministry of Govt. of India) on the principle of reciprocity so as to promote and strengthen the legal profession in India to keep pace with the globalization and to provide a vibrant and effective framework of legal profession that can cater to the ever changing needs of the people, belonging to different religions, faiths and having different personal laws, migrating from one country to the other and to promote international progress, coherence and unity. The Bar Council of India is responsible for ensuring the reciprocity: The Council has right to cancel the registration of any foreign lawyer or law firm, any time, if it comes to the notice of the council through any source that the Indian lawyers or Indian law firms are being discriminated by the concerned counterpart foreign country in any manner. The Council shall cancel such registration after giving the concerned foreign lawyers/foreign law firm or the concerned government an opportunity to place their views.

13. Removal of difficulties.:-

In case any doubt or dispute as to the meaning, interpretation and execution of these Rules arise, the Bar Council of India shall be the final authority to resolve and settle all such disputes and its decision thereon shall be final.

SCHEDULE

(i) Registration fee in case of a foreign lawyer, if he is an individual:

USD 25,000/- (USD Twenty Five Thousand Only);

(ii) Registration fee in case of a foreign lawyer, if it is a firm, private limited partnership, company, Limited Liability Partnership (LLP) etc.:

USD 50, 000/- (USD Fifty Thousand Only);

(iii) Renewal fee in case of a foreign lawyer:

USD 10,000/- (USD Ten Thousand Only);

(iv) Renewal fee in case of a foreign lawyer, if it is a firm, private limited partnership, company, Limited Liability Partnership (LLP) etc.:

USD 20, 000/- (USD Twenty Thousand Only).

- (E) The application for registration shall also be accompanied by Security Deposit as follows: -
- (i) Security Deposit in case of a foreign lawyer, if he is an individual:

USD 15,000/- (USD Fifteen Thousand Only);

(ii) Guarantee amount in case of a foreign lawyer, if it is a firm, private limited partnership, company, limited liability partnership (LLP) etc.:

USD 40,000/- (USD Forty Thousand Only).

SRIMANTO SEN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./688/2022-23]